राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, दिनांक ६ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य १० बजे प्रारंभ हुआ

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

श्रीमन् राजप्रमुख ने ठीक १० बजे सभा भवन में पदार्पण किया और निम्नलिखित उद्घाटन भाषण अंग्रेजी में दिया:—

"MR. SPEAKER, HONOURABLE MEMBERS,

I extend to you all a warm welcome to the second session of the Legislative Assembly. It is six months since I addressed you on a similar occasion and I shall not detain you too long. I would like to refer to some of the more important achievements of the Government during this period and indicate broadly the policy that the Government proposes to follow during the coming months.

2. In my last address I referred in detail to several important problems awaiting solution, and would now like to mention how far the policies pursued by Government during this period have helped in their solution.

3. The most vital problem which deserves mention is the Law and Order situation in the State. In my last address I referred to the determination of the Government to end lawlessness and restore security at any cost. It is gratifying to note that as a result of the intensive drive by the forces of law and order against lawless elements, the situation has greatly improved during the last six months. Several gangs of dacoits who were roaming about striking terror in the countryside have been liquidated. These include many notorious names in the history of crime who were also a problem to the authorities of the neighbouring States.

4. There has also been a marked decline in the number of serious crimes during this period. But unfortunately one of the latest trends in crime in the State has been the kidnapping and

holding to ransom of wealthy persons. In some of these cases the Police have displayed a remarkable degree of initiative and skill in recovering such persons and arresting the culprits. They have relentlessly pursued the dacoits into their hide-outs and destroyed them. I would like to sound a note of warning to those anti-social elements who afford asylum to such fugitives from justice, or help them in their nefarious activities. The decrease in crime following the preventive detention of some of them has justified preventive detention as a weapon for dealing with major crime and has indirectly proved their background part in the crime.

5. Our Police Force have also had to keep constant vigilance on our border with Pakistan. Except for some raids no organised and large-scale incursions across the border have taken place during the last six months.

6. I am glad to say that the food situation has not been a source of as much anxiety as it was before. While many parts of India have been experiencing acute shortage of food it is a source of great satisfaction that the Government have been able to organize the resources in such a manner as to prevent starvation and famine. The Government have spent large sums of money on scarcity relief in spite of our difficult financial position The monsoon, though late, has, on the whole, been better than last year. In some places, however, there have been disastrous rains while in others the rainfall has not been sufficient. Although the prospect is not entirely free from anxiety, we may reasonably expect to tide over the shortage of food and fodder if the autumn rains do not fail and other factors work in our favour. There is, however, a serious menace as several parts of Rajasthan have been invaded by vast locust swarms. Prompt and vigorous measures are being taken by all concerned to minimise this danger as far as possible and I am confident that our efforts in this direction will be successful.

7. In my last address I referred to the downward trend in prices of commodities. As you are no doubt aware, prices did not shoot up again but got stabilised at comparatively fair and reasonable levels and in the field of essential commodities Rajasthan has been able to adhere to their policy of gradual and cautious decontrol with free movement of foodgrains within the State. The system of levy formerly in vogue was replaced by a system of monopoly procurement confined to surplus areas. There has been considerable relaxation in the rationing of foodgrains, sugar and other commodities. At the same time, with a view to preventing anti-social elements like the hoarder

and the blackmarketeer from creating conditions of artificial scarcity a system of procurement and maintenance of stocks at Government depots has also been followed side by side. This policy has been received well by the people.

8. During the last six months in the sphere of Education, Medical Aid and Public Health, and Local Self-Government, the Government have been following the policies which had already proved satisfactory. A Faculty for Oriental Studies has been added to the Rajputana University. It is expected that with the Faculty the study of Oriental Languages and sciences, like Sanskrit and Indian systems of medicine etc. will receive great fillip.

9. In spite of the present financial stringency, the Government have been devoting care and attention to the welfare of Scheduled Tribes, Scheduled Castes and other backward classes and to the development of Scheduled Areas. As required under the Constitution, the Rajasthan Tribes Advisory Council has been set up consisting of 12 members to advise the Government on matters relating to the welfare of Scheduled Tribes. The Rajasthan Tribes Advisory Council Rules, 1952, have also been promulgated.

The various schemes for the Scheduled Areas that have already been given effect to are:—

(1) Construction of wells,
(2) Repairs of old tanks,
(3) Establishment of Industrial Classes,
(4) Training members of Scheduled Tribes,
(5) Palm-Gur development,
(6) Distribution of tools and implements for agricultural purposes,
(7) Starting of primary schools for the children of Scheduled Tribes, and
(8) Opening of night classes and night Schools and a training camp for teachers etc.

The Government have been able to secure from the Government of India a grant-in-aid of rupees six lakhs and seventy thousand for the various schemes which are being executed in the current year for the welfare of Scheduled Tribes and development of Scheduled Areas.

With a view to providing facilities to the members of Backward Classes for specialised training, the Government have approved the reservation of specific seats for them in the Medical

and Engineering Colleges in Rajasthan. Reservation of seats with scholarships for girls belonging to Backward Classes in Girls' Institutions such as Mahila Mandal, Udaipur, Banasthali Vidyapeeth and Gandhi Ashram at Hatondi have also been sanctioned.

The Government intended to introduce a bill for the removal of social disabilities of Harijans but have dropped the measure on receipt of advice from the Government of India that they propose to enact all-India legislation on the subject.

10. As regards other nation-building activities to which the Government have been giving attention they include relief works with particular emphasis on the improvement of communications placing the system of electric supply on a more satisfactory footing, and water supply schemes etc.

11. The industrial policy laid down by the Government is being pursued with vigour and experts are engaged in an examination of the various agreements entered into with the industrialists in the past with a view to eliminating provisions which, in the present context, are against public interest. This is being done to remove anomalies in the concessions etc. enjoyed by different parties in the same types of industries, and to implement the recommendations of the Regional Industries Committees.

12. The activities to promote the welfare of labour have not been neglected. The Employees' Provident Fund Scheme has already been applied in the case of some selected industries. The policy of rehabilitating displaced persons and ex-soldiers and their families on land or in industries has been pursued with satisfactory results. The Government have also been trying to find employment for the educated unemployed through the Employment Exchanges several of which are functioning successfully in Rajasthan.

13. The electoral rolls are being revised and the constituencies will have to be re-delimited on the basis of the latest population census of 1951. The Government are taking all necessary steps in this connection.

14. A reference may briefly be made to the Government sponsored legislation introduced in the Legislative Assembly during its first session. I should like to express my great pleasure at the satisfactory manner in which the Assembly

conducted its business with a great sense of responsibility, wisdom and dignity. Several important measures were enacted, such as,—

(1) Produce Rents Regulating (Amendment) Act,

(2) Protection of Tenants Ordinance (Amendment) Act, and

(3) The Agricultural Rents Control Act.

As you know some important measures were considered and referred to Select Committees which will come up before you for further consideration and enactment into law. The important bills which will now come before you with the reports of the Select Committees are: --

(1) The Rajasthan Forest Bill,

(2) The Rajasthan Co-operative Societies Bill,

(3) The Rajasthan Panchayats Bill, and

(4) The Rajasthan Agricultural Income-tax Bill.

The Rajasthan Tenancy Bill has already been published for eliciting public opinion.

15. The Government propose to promote some important legislation during this session of the Assembly. The more important bills are:

(1) The Rajasthan Land Acquisition Bill intended to bring into effect a uniform law in this respect for the whole of Rajasthan;

(2) The Rajasthan Habitual Offenders Bill to replace an Ordinance which I had to promulgate in order to fill up the gap produced by the repeal of the central legislation relating to Criminal Tribes until the Government of India promote uniform legislation of the nature of this bill for the whole of India;

(3) The Rajasthan Essential Services (Maintenance) Bill to deal with strikes in vital departments or undertaking;

(4) The Rajasthan Official Language Bill which will enable the Government to extend the use of Hindi in official transactions;

(5) The Rajasthan Security of the State Bill which will enable Government to deal with lawless elements trying to endanger public safety;

(6) The Rajasthan District Boards Bill intended to bring into effect a uniform law in this respect for the whole of Rajasthan;

(7) The Rajasthan Maternity Benefit Bill;

(8) The Rajasthan Cinemas (Regulation) Bill;

(9) The Rajasthan Indian Medicine Bill; and

(10) The Rajasthan Urban Improvement Bill

I am confident that you will devote your attention to these Bills with the same maturity of wisdom which you displayed during the last session.

16. The integration of the Services has proceeded along the lines already laid down and is very near completion, the staff of several departments having been integrated since I last addressed you. Some personnel had necessarily to be discharged since Rajasthan has had to take over the entire staff in all the Covenanting States pending the fixation of the cadres and strengths of the various branches of the services. The Government have however attempted to deal with such cases with sympathy and understanding.

17. I would like to make a reference to our financial position which is really a source of deep concern to us all. The Government of India lent us an experienced officer to advise on measures for economy in expenditure and increase in income. A Standing Committee of the Cabinet devotes its special attention to these problems. In spite of all possible economies and earnest efforts at pruning of expenditure in several directions we are not yet in a position to look forward to a balanced, not to say a surplus budget for perhaps some time to come. The reasons are not far to seek and have been clearly explained in the Memorandum presented to the Finance Commission appointed by the President. The Commission has visited Rajasthan and the Government have already placed before them our difficulties and suggested their solutions.

18. In the course of my last address, I referred to the efforts that were being made by the Government for the inclusion of the Chambal Hydro-Electric Scheme (which is of such vital importance to Rajasthan) in the First Five Year Plan from which it had been originally omitted. There is reason to believe that our request is likely to receive the favourable consideration of the Planning Commission and the Central Government.

This will raise the capital to be expended in Rajasthan over the Five Year Plan far beyond fifteen crores as originally contemplated.

19. The Government have also been successful in persuading the Government of India to establish a Broadcasting Station at Jaipur which will give a fillip to our cultural activities in addition to providing recreation to the public.

20. The Government have continued their efforts to secure the merger of Abu territory back into Rajasthan. The Resolution passed by you during the last Session has been a source of great strength to Government in this respect and they have taken up the matter with the Government of India for moving the President in this respect.

21. Before I conclude, I should like to once again emphasise that for the successful working of Democracy it is necessary to have the spirit of tolerance, compromise, mutual understanding, good-will and co-operation. Our outstanding problem which dominates all others and will engage the attention of the Government for decades is that of eradicating poverty and raising the standard of living of our masses. The programmes devised for this purpose can be successfully implemented only with the co-operation of all parties and sections and their concerted action over a long period.

22. In a democratic State, there are so to say, more obligations and duties than rights for the citizens, for if every one insists only on rights, democracy will break down. This represents broadly speaking the spirit in which democratic institutions should be worked.

23. Rajasthan with its glorious past has a proud place in Indian History. It is now up to you to harness yourself to the vital task of developing the vast resources of this ancient and yet infant State. We would succeed in this objective of ours if we keep ourselves ceaselessly devoted to creative activity and collective endeavour particulary in the economic sphere, and face our problems with firmness, determination and abiding faith in the destiny of this great State.

24. I shall now leave you to your labours which are of supreme importance to our people. I earnestly hope that your deliberations will be fruitful, and that your discussions will lead to the formulation of wise policies conceived in the best interests of the people of Rajasthan whom you represent here."

(श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण का हिन्दी अनुवाद)

"श्रीयुत् अध्यक्ष महोदय, एवं माननीय सदस्यगण,

विधान सभा के द्वितीय अधिवेशन के लिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे ही अवसर पर मुझे आप लोगों को संबोधित किये छः महीने का समय हुआ है, तथा मैं आप लोगों को बहुत अधिक समय तक नहीं रोकूंगा। इस अवधि में सरकार द्वारा प्राप्त अधिक महत्व-पूर्ण सफलताओं की ओर मैं निर्देश करूंगा तथा सरकार की नीति, जिसका वह आने वाले महीनों में अनुसरण करने का प्रस्ताव करती है, विस्तृत रूप से निदर्शन करूंगा।

२. मैंने अपने गत भाषण में ऐसी कतिपय समस्याओं की ओर जो हल की जाने को प्रतीक्षा में थीं, विस्तार से निर्देश किया था। और अब मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अवधि में सरकार द्वारा अनुसरण की गई नीतियों द्वारा इन (समस्याओं) को सुलझाने में कहां तक सहायता मिली है।

३. सबसे प्रमुख समस्या, जिसका वर्णन करना उचित है, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति है। मैंने अपने गत भाषण में किसी भी मूल्य पर अराजकता को समाप्त करने और सुरक्षा स्थापित करने के सरकार के निश्चय की ओर निर्देश किया था। यह संतोष का विषय है, कि अराजकता के तत्वों के विरुद्ध कानून और व्यवस्था की शक्तियों के दीर्घ प्रयत्नों के परिणामस्वरूप गत छः महीने के अन्दर स्थिति बहुत कुछ सुधर गई है। डाकुओं के बहुत से गिरोह जो समग्र प्रदेश में भय संचार करते हुए चारों ओर घूम रहे थे, समाप्त कर दिये गये हैं। इनसे अपराध के इतिहास में कितने ही कुख्यात नाम सम्मिलित हुये हैं, जो समीपस्थ राज्यों के प्राधिकारियों के लिये भी एक समस्या बने हुये थे।

४. इस अवधि में गंभोर अपराधों की संख्या में भी महान कमी हुई है। परन्तु दुर्भाग्य-वश इस राज्य में अपराधों की नवीनतम प्रवृत्तियों में से एक, धनवान व्यक्तियों का अपहरण करने और उनको धन लेकर छोड़ने की रही है। इनमें से कुछ मामलों में पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों का पुनरुद्धार करने एवं अपराधियों को बन्दी बनाने में विलक्षण उपक्रम एवं दक्षता प्रदर्शित की है। उसने डाकुओं का उनके छिपने के स्थानों तक दृढ़ता-पूर्वक पीछा किया है तथा उनको नष्ट कर दिया है। तथा मैं उन समाज-विरोधी तत्वों को, जो इन न्याय से पलायन करने वालों को शरण देते हैं अथवा उनके निंद्य कार्य-कलापों में सहायता प्रदान करते हैं, चेतावनी देना पसंद करूंगा। उनमें से कुछ का निवारक अवरोध होने के अनुसरण में हुई, अपराध की कमी ने बड़े अपराध के संव्यवहार में प्रयोग के लिये निवारक अवरोध को एक शस्त्र के रूप में, उचित सिद्ध किया है और परोक्ष रूप से अपराधों की पृष्ठ भूमि में उनका हाथ सिद्ध कर दिया है।

५. हमारे पुलिस दल को पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा पर निरंतर सतर्कता रखनी पड़ी है। कुछ हमलों के सिवाय गत छः महीनों में कोई संगठित और विशाल आक्रमण सीमा के पार नहीं हुये हैं।

६. मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि खाद्य स्थिति उतनी चिन्ता का कारण नहीं रही है जितनी कि पहले थी। जबकि भारत के कितने ही भाग खाद्य की महान् कमी अनुभव करते रहे हैं, यह महान् संतोष का विषय है कि सरकार ने अपने साधनों का ऐसी रीति से संगठन किया कि भूखमरी और दुर्भिक्ष रोक दिये गये। हमारी आर्थिक अवस्था दुःसाध्य होते हुये भी सरकार ने कमी वाले क्षेत्रों की सहायता पर रुपये की बड़ी २ रकमें व्यय की हैं। मानसून यद्यपि देर से आया पर फिर भी गत वर्ष से अच्छा हो गया। तथापि कुछ स्थानों में, विनाशकारी वर्षा हुई है जब कि कुछ अन्य स्थानों में वर्षा पर्याप्त नहीं हुई है। यद्यपि प्रत्याशा पूर्ण रूप से चिन्ता से रहित नहीं है फिर भी यदि शरद ऋतु में वर्षा हो जाय और अन्य बातें हमारे अनुकूल रहें तो हम उचित रूप से खाद्यान्न और चारे की कमी को पूरी करने की आशा कर सकते हैं। तथापि एक गंभीर भय वर्तमान है, क्योंकि राजस्थान के कई भागों पर विशाल टिड्डी समूह द्वारा आक्रमण हुआ है। सर्व संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस भय को जितना अधिक हो सके, कम करने के लिये शीघ्रतापूर्ण एवं प्रबल उपाय किये जा रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल होंगे।

७. मैंने अपने गत भाषण में वस्तुओं के मूल्यों की अधोमुखी प्रवृत्ति की ओर निर्देश किया था। जैसा कि निःसंदेह आप सबको विदित है, मूल्य पुनः ऊंचे नहीं गये बल्कि तुलनात्मक रूप से अच्छे और उचित धरातल पर स्थिर हो गये तथा आवश्यक पदार्थों के क्षेत्र में राजस्थान अपनी, राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के स्वच्छंद यातायात के साथ क्रमिक एवं सावधानी पूर्ण अनियंत्रण की नीति का पालन करने में सफल रहा है। पहले प्रचलित समाहरण (लेवी) की पद्धति अधिकता वाले क्षेत्रों तक सीमित रखी गई प्राप्ति एकाधिकार की पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित करदी गई। खाद्यान्नों, चीनी और अन्य पदार्थों के राशन में प्रचुर शिथिलता रही है। साथ ही साथ संचय करने वालों तथा काला बाजार करने वालों के समान समाज-विरोधी तत्वों को, कृत्रिम कमी उत्पन्न करने से रोकने की दृष्टि से, सरकारी गोदामों पर सामग्री (स्टाकों) की प्राप्ति और निर्वाह की पद्धति का भी साथ ही साथ अनुसरण किया गया है। इस नीति का जनता द्वारा अच्छा स्वागत किया गया है।

८. गत छः महीनों में शिक्षा, चिकित्सा, सहायता तथा जन–स्वास्थ्य एवं स्थानीय स्वायत्त शासन के वृत्त में सरकार उन नीतियों का अनुसरण करती रही है जो पहले ही सन्तोषप्रद सिद्ध हो चुकी थी। राजपूताना विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन के लिये एक विभाग की और वृद्धि की गई है। यह आशा की जाती है कि इस विभाग से संस्कृत और औषधियों आदि की भारतीय पद्धति के सदृश्य, प्राच्य भाषाओं और विज्ञानों के अध्ययनों को भी अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

९. वर्तमान आर्थिक कठिनाई के होते हुए भी, सरकार अनुसूचित वनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की ओर सावधानी पूर्वक ध्यान देती रही है। जैसा कि संविधान के अतर्गत अपेक्षित है, राजस्थान वन जाति परामर्शदातृ परिषद (राजस्थान ट्राइब्स एडवाइजरी कौन्सिल) की स्थापना करदी गई है जिसमें अनुसूचित वन जातियों संबंधी विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिये १२ सदस्य हैं। राजस्थान वन जाति परामर्शदातृ परिषद नियम, १९५२, (राजस्थान ट्राइब्स एडवाइजरी कौन्सिल रूल्स, १९५२) भी प्रवर्तित कर दिये गये हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिये विभिन्न योजनाएं, जो पहिले ही प्रभाव में आ चुकी हैं निम्न हैं:—

(१) कूपों का निर्माण,

(२) पुराने तालाबों की मरम्मत,

(३) औद्योगिक कक्षाओं की स्थापना,

(४) अनुसूचित वन जातियों के सदस्यों का प्रशिक्षण,

(५) पाम-गुड़ विकास,

(६) कृषि के प्रयोजनों के लिये औजारों एवं उपकरणों का वितरण,

(७) अनुसूचित वन जातियों के बच्चों के लिये प्रारम्भिक स्कूलों का प्रारम्भ,

(८) रात्रि कक्षाओं एवं रात्रि स्कूलों का तथा शिक्षकों के लिये एक प्रशिक्षण शिविर (कैम्प) खोलना आदि।

सरकार, भारत सरकार से, विभिन्न योजनाओं के लिये, जो चालू वर्ष में अनुसूचित वन जातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये संपादित की जा रही हैं, छः लाख, सत्तर हजार रुपये का एक सहायक अनुदान प्राप्त करने में समर्थ हो गई है।

विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये पिछड़े हुये वर्गों के सदस्यों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान में मैडिकल और इंजिनियरिंग कालेजों में, उनके लिये विशिष्ट स्थानों (सीटों) के आरक्षण का अनुमोदन कर दिया है। पिछड़े हुये वर्गों की लड़कियों के लिये छात्रवृत्तियों सहित महिला मण्डल, उदयपुर, वनस्थली विद्यापीठ तथा हटोंडी के गांधी आश्रम जैसी लड़कियों की संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण भी स्वीकृत कर लिया गया है।

सरकार का, हरिजनों की सामाजिक निर्योग्यताओं को हटाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार था लेकिन भारत सरकार से परामर्श प्राप्त होने पर कि वह इस विषय पर एक अखिल भारतीय विधान बनाने का विचार रखती है, इस प्रयत्न को छोड़ दिया गया।

१०. अन्य राष्ट्र-निर्माणकारी कार्य कलापों के सम्बन्ध में जिनकी की ओर सरकार ध्यान देती रही है, यातायात के साधनों की उन्नति पर विशेष बल देते हुए सहायता कार्य, विद्युत् प्रदायकी पद्धति को और संतोषप्रद आधार पर स्थापित करना तथा जल प्रदाय योजनाएं आदि, सम्मिलित हैं ।

११. सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक नीति का प्रबलता से अनुसरण किया जा रहा है और उन प्रावधानों को, जो वर्तमान प्रसंग में लोक-हित के विरुद्ध हैं, निरस्त करने की दृष्टि से भूतकाल में उद्योगपतियों के साथ किये गये विभिन्न समझौतों की परीक्षा करने के लिये विशेषज्ञ अभियोजित किये गये हैं । ऐसा यह, एक ही प्रकार के उद्योगों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली रियायतों आदि में असंगति को हटाने के लिए और प्रादेशिक उद्योग समितियों की सिफारिशों की अभिपूर्ति करने के लिये, किया जा रहा है।

१२. श्रमिकों की कल्याण-वृद्धि के कार्यों की भी उपेक्षा नहीं की गई है । नौकरों की प्रोविडेण्ट फण्ड योजना पहले ही कुछ चुने हुए उद्योगों के मामले में लागू करदी गई है । स्थानच्युत व्यक्तियों और सेवा-मुक्त सैनिकों तथा उनके परिवारों को भूमि पर या उद्योगों में पुनर्संस्थापित करने की नीति संतोषपूर्ण परिणामों के साथ अनुसरण की गई है । सरकार शिक्षित, रोजगार हीन व्यक्तियों के लिये एम्प्लोयमेन्ट ऐक्सचेन्जों के द्वारा नौकरी ढूंढने का प्रयत्न कर रही है, जिनमें से बहुत से राजस्थान में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं ।

१३. निर्वाचक-नामावलियों की पुनरावृत्ति हो रही है तथा १९५१ की अंतिम जन-गणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसामनं करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में सरकार समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर रही है ।

१४. संक्षेप में विधान सभा में, उसके प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत किये गये, सरकार द्वारा प्रवर्तित विधान की ओर भी निर्देश किया जा सकता है । मुझे उस संतोषपूर्ण रीति पर, हर्ष प्रकट करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है, जिसमें सभा ने अपना कार्य उत्तरदायित्व की प्रशंसनीय भावना, बुद्धिमत्ता एवं गरिमा के साथ संचालित किया । कई महत्वपूर्ण नियमों को अधिनियमों का रूप दिया गया, यथाः–

अधिनियमः–(१) प्रोड्यूस रेन्ट्स रेग्यूलेटिंग (अमेंडमेन्ट) एक्ट,

(२) प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स आर्डिनेन्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, और,

(३) एग्रीकल्चरल रेण्ट्स कन्ट्रोल एक्ट,

जैसा कि आपको विदित है कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर विचार करने के पश्चात् उनको प्रवर समितियों (सिलेक्ट कमेटियों) को भेज दिया गया जो पुनः विचारार्थ एवं कानून बनने के लिये आपके सम्मुख आयेंगे । महत्वपूर्ण विधेयक जो अब प्रवर-समितियों

के प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) सहित आपके सम्मुख आयेंगे:–

(१) राजस्थान वन विधेयक,
(२) राजस्थान सहकारी समिति विधेयक,
(३) राजस्थान पंचायत विधेयक, और
(४) राजस्थान एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल है।

राजस्थान काश्तकारी विधेयक जनता की राय जानने के लिये प्रकाशित किया जा चुका है।

१५. सरकार, सभा के इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण विधान प्रवर्तित करने का प्रस्ताव करती है। अधिक महत्वपूर्ण विधेयक:–

(१) राजस्थान भूमि अवाप्ति विधेयक, जिसके द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान के लिये इस सम्बन्ध में एक समान कानून बनाने का विचार है,

(२) एक आर्डिनेन्स को, जो अपराधी वन जातियों सम्बन्धी केन्द्रीय विधान के निरसन द्वारा उत्पन्न दरार को भरने के लिये मुझे प्रवर्तित करना पड़ा था, प्रतिस्थापित करने के लिये राजस्थान हेबीच्युअल ऑफैण्डर्स बिल, जो तब तक के लिये रहेगा जब तक कि भारत सरकार सम्पूर्ण भारत के लिये इस विधेयक की प्रकृति का एक रूप विधान प्रवर्तित न करे,

(३) प्राणभूत विभागों और व्यवसायों में हड़तालों के, संव्यवहार के लिये; राजस्थान ऐसेंशियल सर्विसेज (मेंटीनैंस) बिल;

(४) राजस्थान राज्य भाषा विधेयक, जिसके द्वारा सरकार राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग की वृद्धि करने में समर्थ होगी;

(५) राजस्थान सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट बिल, जिसके द्वारा सरकार लोक-सुरक्षा को भय ग्रस्त करने के लिये प्रयत्नशील अराजकता के तत्वों के साथ संव्यवहार करने में समर्थ होगी;

(६) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल जिसके द्वारा इस संबंध में सम्पूर्ण राजस्थान में एकरूप कानून प्रभाव में लाना अभिप्रत है;

(७) राजस्थान मैटरनिटी बेनीफिट बिल,

(८) राजस्थान सिनेमाज (रेग्यूलेशन) बिल,

(९) राजस्थान इंडियन मैडीसिन बिल; और

(१०) राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट बिल

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन विधेयकों (बिलों) की ओर उसी परिपक्व बुद्धिमत्ता के साथ ध्यान देंगे जैसी कि आपने गत अधिवेशन में प्रदर्शित की थी ।

१६. सेवाओं का एकीकरण पूर्व निर्धारित रीति से किया गया है और पूर्णता के लगभग है। मेरे अंतिम बार आपको संबोधित किये जाने के समय से अब तक कई विभागों के कर्मचारी वर्ग का एकीकरण हो चुका है । कुछ कर्मचारी वर्ग को आवश्यक रूप से हटा देना पड़ा क्योंकि राजस्थान को समस्त संविपत्रान्तर्गत राज्यों के सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग को, केडरों के और सेवाओं की विभिन्न शाखाओं की शक्ति निश्चित हो जाने तक, लेना पड़ा था । तथापि सरकार ने ऐसे मामलों में सहानुभूति और विवेक से संव्यवहार करने का प्रयत्न किया है ।

१७. मैं, हमारी आर्थिक स्थिति की ओर निर्देश करना पसंद करूंगा जिससे हम सब का वास्तव में गहन सम्बन्ध है । भारत सरकार ने हमें एक अनुभवी अधिकारी, व्यय में कमी और आय में वृद्धि करने के उपायों के संबन्ध में सलाह देने के लिये दिया था । मंत्री-मंडल की एक स्थायी समिति इन समस्याओं की ओर अपना विशेष ध्यान देती है । कतिपय दिशाओं में व्यय कम करने के लिए समस्त सम्भव मितव्ययिताओं और गम्भीर प्रयत्नों के करने पर भी शायद हम अब भी आने वाले कुछ समय तक, बचत के आय-व्ययक का तो कहना ही क्या संतुलित आय-व्ययक की आशा करने की स्थिति में भी नहीं है । कारण ढूंढने को हमें दूर नहीं जाना होगा और वे कारण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अर्थ आयोग को प्रस्तुत किये गये स्मार-पत्र में स्पष्टरूप से स्पष्ट कर दिये गये हैं । आयोग राजस्थान का निरीक्षण कर चुका है और सरकार पहिले ही उनके समक्ष हमारी कठिनाइयां प्रस्तुत कर चुकी है तथा उनके हलों का सुझाव भी दे दिया है ।

१८. अपने गत भाषण में मैंने उन प्रयत्नों की ओर निर्देश किया था, जो सरकार द्वारा चम्बल हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम को (जो राजस्थान के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है) पंच वर्षीय योजना में; जिससे यह प्रारम्भ में ही छोड़ दी गई थी, सम्मिलित करने के लिये किये जा रहे थे । यह विश्वास करने का कारण है कि हमारी प्रार्थना पर प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुकूल विचार होने की संभावना है । इससे राजस्थान में पंच वर्षीय योजना पर व्यय की जाने वाली पूंजी पन्द्रह करोड़ से बहुत अधिक हो जायगी, जैसा कि प्रारम्भ में सोचा गया था ।

१९. सरकार, भारत सरकार को जयपुर में एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये सहमत करने में भी सफल हो गई है जिससे जनता का मनोरंजन होने के अतिरिक्त हमारे संस्कृतिक कार्य-कलापों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

२०. सरकार ने आबू प्रदेश को पुनः राजस्थान में विलीन करने के प्रयत्नों को जारी रखा है । गत अधिवेशन में आपके द्वारा स्वीकृत संकल्प (रिजोल्यूशन)

[redacted]

सरकार के लिए इस सम्बन्ध में एक महान् शक्ति का कारण रहा और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रेरित करने के लिये सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मामले में कार्यवाही प्रारम्भ करदी है ।

२१. उपसंहार करने के पूर्व में एक बार फिर जोर देना चाहता हूं कि लोक-तन्त्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये सहिष्णुता, समझौते, पारस्परिक ज्ञान, सद्भावना और सहयोग की भावना होना आवश्यक है। हमारी प्रमुख समस्या, जो अन्य सब से अधिक प्रधान है तथा जो कई दशकों (दश वर्षों) तक सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी, वह हमारे जन साधारण की दरिद्रता को निर्मूल करने और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने की है । इस प्रयोजन के लिये चिंतित कार्य-क्रम केवल सब दलों और वर्गों के एक लंबी अवधि तक सहयोग से और उनकी सामूहिक चेष्टा से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जा सकते हैं।

२२. एक लोक-तंत्र राज्य में वास्तव में नागरिकों के लिये अधिकारों की अपेक्षा दायित्व एवं कर्त्तव्य ही अधिक हैं, क्योंकि यदि प्रत्येक (व्यक्ति) केवल अधिकार ही लेना चाहे तो लोक-तंत्र विच्छिन्न हो जायगा । विशदरूप में इससे उस भावना का प्रतिपादन होता है जिसमें कि लोक-तंत्र की संस्थाओं का कार्य होना चाहिये।

२३. भारत के इतिहास में राजस्थान अपने तेजस्वी अतीत के साथ एक गौरव पूर्व स्थान रखता है । अब यह आप लोगों पर है कि आप इस प्राचीन और अभी तक शिशु राज्य के विशाल साधनों के अत्यावश्यक विकास कार्य के लिये अपने आपको कटिबद्ध करें । हम अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे, यदि हम अनवरत रूप से रचनात्मक कार्यों एवं सामूहिक प्रयत्न में, विशेषतः आर्थिक क्षेत्र में, अपने आपको संलग्न रखें और इस विशाल राज्य के भाग्योदय के लिये अपनी समस्याओं का दृढ़ता, निश्चय एव अटल विश्वास के साथ सामना करें।

२४. मैं अब आपको आपकी आगे की कार्यवाहियां करने के लिये छोड़ दूंगा जो हमारी जनता के लिये परम महत्वपूर्ण हैं । मैं आग्रह पूर्वक आशा करता हूं कि आपके विमर्श फलप्रद होंगे, और आपके वाद-विवाद राजस्थान की जनता, जिसका कि आप यहां प्रतिनिधित्व करते हैं, के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखनेवाली बुद्धिमत्ता पूर्ण नीतियों का संविन्यास करने में मार्ग दर्शन करने वाले होंगे ।

(उद्घाटन भाषण के पश्चात् श्रीमन् राजप्रमुख सभा-भवन से १०-२० प्रातः पुनः पधारे और सदन मंगलवार, दिनांक ७ अक्टूबर, १९५२ के ८-३० (प्रातः) बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

सभा भवन,
जयपुर
६ अक्टूबर, १९५२

———